



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

Creditible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....107...../2016

दिनांक 31/12/2016

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की "मुख्यमंत्री जन आवास योजना" में भवन मूल्य पर छूट देने तथा समयावधि बढ़ाने बाबत।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 70वें स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15 अगस्त 2016 के उपलक्ष्य में मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में मण्डल के आदेश क्रमांक 62/2016, दिनांक 16.08.2016 द्वारा "मुख्यमंत्री जन आवास" योजनांतर्गत दिनांक 15.08.2016 से दिनांक 15.12.2016 तक आवेदकों द्वारा पंजीयन कराने पर मण्डल की चिन्हित योजनाओं में उपलब्ध रिक्त भवनों के मूल्य में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति मण्डल के 51वें सम्मिलन दिनांक 24.09.2016 की पदसंख्या क्रमांक 09 के पारित संकल्प क्रमांक 1428-09/51/09/2016 में उपरोक्त आदेश क्रमांक 62/2016 दिनांक 16.08.2016 द्वारा दी गई है।

अ) यदि आबंटी द्वारा भवन की संपूर्ण राशि आबंटन तिथि से 60 दिवस के अंदर जमा की जाती है तो :-

1. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों के मूल्य में (10+3) 13 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
2. एम.आई.जी./एच.आई.जी. भवनों के मूल्य में (10+2) 12 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

ब) यदि आबंटी द्वारा भवन की संपूर्ण राशि आबंटन तिथि से 60 दिवस के पश्चात् तथा 120 दिन के अंदर जमा की जाती है तो भवन के मूल्य पर 10 प्रतिशत छूट ही प्राप्त होगी।

उक्त समयावधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में संपदा अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार छूट की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः संपदा अधिकारी के अनुरोध पर विचार करते हुए आगामी मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त छूट की अवधि में दिनांक 31.03.2017 तक वृद्धि की जाती है।

आदेशानुसार,

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल


मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

क्रमशः-02

12

पृ.क्र. 1000L/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-138/16 नया रायपुर, दिनांक 3/1/2/2016
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.
संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/
महासमुन्द्र/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग
02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा
/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द्र/की ओर
सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।



मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर